16-7-19 वकील वादी उपस्थित। बहस का मौका चाहते हैं। दि० 13-8-19 को पेश हो।

13-8-19 वकील वादी उपस्थित। अन्य कोर्ट में व्यस्त रहने के कारण बहस को एक मौका चाहते हैं। दि० 2-9-19 को पेश हो।

2-9-19 वकील वादी उपस्थित। स्वयं बहस को अंतिम मौका चाहते हैं। दि० 23-9-19 को पेश हो।

23-9-19 वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। फैसले आदेश। दि० 25-9-19 को पेश हो।

25-9-19 वकील वादी उपस्थित। वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से घोषित किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner

यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय
255	23.12.14	25.9.19

उनवान

1. रामौतार पुत्र चिरंजी जाति अहीर निवासी बल्लमग्राम तहसील किशनगढबास जिला अलवर। :– वादी:–

बनाम

1. कैलाश पुत्र चिरंजी
2. रोहिताश पुत्र चिरंजी
3. सरला बेवा राजेन्द्र जाति अहीर निवासी बल्लमग्राम तहसील किशनगढबास जिला अलवर। :–प्रतिवादीगण:–

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति:– 1. श्री राजेश शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2.प्रतिवादीण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।

पर्चा डिकी 25.9.19

वाद वादी बाबत आ0ख0न0 360/0.1900 वाके ग्राम बल्लमग्राम तहसील किशनगढबास वाद वादी सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वादी वाद स्वंय वहन करेगा।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
==

अध्यासित द्वारा :-
श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
255	23-12-14	25-9-19

उनवान

1- रामौतार पुत्र चिरंजी जाति अहीर निवासी बलम्पुराम
तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- कैलाश पुत्र चिरंजी
2- रोहिताश पुत्र चिरंजी
3- सरला बेवा राजेन्द्र जाति अहीर निवासी बलम्पुराम तहसील
किशनगढ़-बास जिला अलवर :-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :-1-श्री राजेश शर्मा एड. वादी की ओर से ।
2- प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-
वादी ने वाद पेश किया कि आ.ख. नं. 360/0. 1900 वाके ग्राम बलम्पुराम तहसील किशनगढ़-बास आपसी बाहमी बटवारे में मिन वादी के हिस्से में आया हुआ है जिस पर मिन वादी काबिज काश्त है उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है जिसमें वादी ने अपने मकानात बनाये हुये तथा पशुओं के लिये बाड़ा छप्पर बना रखा है तथा आवंला, नींबू, सागवान, सफेदा के पेड़ लगाये हुये हैं।

विवादित आराजी ख. नं. 360 से लगती हुई आ. ख. नं. 361 है जो प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है जिसका प्रतिवादीगण बेजा फायदा उठाना चाहते हैं तथा जबरन लठ के बल पर मिन वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिनांक 24-11-14 को प्रति. नं. जबरन प्रार्थी खेत को जोतने व वृक्षों का नष्ट करने का असफल प्रयास किया। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गयेतो वादी को अजहद हानि होगी।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

Scanned by CamScanner

{अ} डिग्री इजराय हुक्मइम्तनाई दवामी हक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर की जाकर अब प्रति. को जरिये हु.इ.दवामी पाबन्द किया जावे कि वो आ.ख.नं.हाल 360/0.1900 वाके ग्राम बल्लभग्राम तहसील किशनगढ़-बास पर अनुचित कब्जा ना करें. ना वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करे. ना कोई कच्चा/पक्का निर्माण करें। मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

{ब} हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

{स} दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण अदालत हाजा में उपस्थित हुये और उनकी ओर से श्री उदयसिंह एड.ने वकालतनामा पेश किया। उनके द्वारा बार बार जवाब हेतु मौके लिये गये। बाद में वो न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लु 1.हरिसिंह पुत्र चिरंजी पी.डब्लु 2 का शपथ पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2071-74 प्रदर्श 1. नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 पेश किये हैं।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद में अंकित तथ्यों को ही दोहराया और निवेदन किया आराजी विवादित हमारे हिस्से में आई हुई है जिस पर वादी काबिज काश्त है प्रतिवादीगण अनुचित कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी का अभिकथन है कि विवादित आराजी बंटवारे में उसके पास आई हुई है, इस अभिकथन की पुष्टि में वादी ने कोई प्रमाण पेश नहीं किया कि आराजी का बंटवारा हुआ हो। चूंकि आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और सहखातेदार के खिलाफ कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादी का वाद कतई साबित नहीं होता है। वाद वादी काबिल खारिज है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादी बाबत आ.ख.सं. 360/0.1900 वाके ग्राम बल्लभग्राम

Scanned by CamScanner

तहसील किशनगढ़-बास वाद सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी होवे पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner